ायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक31.12.19

मि.न.166/2019

सरकार बनाम लालचन्द वगै0
निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान उपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सांगटेडा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम बीजाहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0536/0.40 व 537/0.58 है0 किस्म बारानी –2 भूमि मेंसे कमशः 0.40 0 0.58 है पर लालचन्द, मूलचन्द, ताराचन्द, रोहिताश रामकरण पुत्र सुरजाराम जाति गुर्जर निवासी बींजाहेडा तहसील कोटपूतली ने गेंहूँ व मेथी की फसल कास्त कर नाजायज रूप से अतिकमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायलान को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित आये तथा जबाब पेश नहीं किया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, पटवारी हल्का रिपोर्ट पर गौर किया तो विवेचन में पाया कि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा जांच के उपरान्त पेश की गई है।

अतः गैरसायलान लालचन्द,मूलचन्द, ताराचन्द , रोहिताश, रामकरण पुत्र सुरजाराम जाति गुर्जर निवासी बींजाहेडा तहसील कोटपूतली ने वाके ग्राम बींजाहेडा तहसील कोटपूतली के खसरा नंबर 536/0.40,537/0.58 है 0किस्म बारानी–2 भूमि मेंसे कमशः 0.40 व0.58 है0 भूमि पर अतिकमण अवैध अतिक्रमण सिद्व होता है अतः अतिकमियों के विरूद्व कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिकमियों के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी

अतः गैरसायलान लालचन्द , मूलचन्द , ताराचन्द, रोहिताश, रामकरण पुत्र सुरजाराम जाति गुर्जर निवासी बींजाहेडा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम बींजाहेडा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 536/0.40,537/0.58है0 ,किस्म गै0मु0 मे से 0.40,0.58है0 भूमि पर अतिकमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायल को उक्त आराजीयात पर बोई गई गैंहूँ व मेथी की फसल को निलाम किया जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज रूप से अतिकमण करने के आरोप मे लगान राशी 5.88रू. का

पचास गुणा 294रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्त फसल निलामी, बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 31.12.19 को सरे इजलास सुनाया गया ।

|